प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: **192/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Jorawar Singh S/o Kuber Singh Add: Varda, Badgaon, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बड़गांव, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 24/12/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329139195759846 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षूब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/192/25/1205–06 दिनांक 01.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा जरिये पत्रांकः सूअ/2005/25/1876–77 दिनांक 11.12.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना चाही गई थी। इस कार्यालय के पत्रांक 1629 दिनांक 04.11.2025 द्वारा एप्लीकेशन नंबर 329843596931552 के संबंध में संबंधित विभाग से सूचना के लिए पत्र लिखा गया था। ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से प्रार्थी को सूचित कर दिया गया था एवं संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को इस संबंध में कार्यालय के पत्रांक 1794–95 दिनांक 27.11.2025 को सूचना के लिए लिखा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी से संबंधित नहीं होकर पंचायत समिति बड़गांव से संबंधित होने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 1629 दिनांक 04.11.2025 से पंचायत समिति बड़गांव से सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया, किन्तु अंतरण दिनांक 27.11.2025 को किया गया। इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुये है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बड़गांव को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार निर्धारित समयावधि में अंतरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04-12-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर